



प्रथम वार्षिक रिपोर्ट 1st ANNUAL REPORT 2012-13



भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण
सीमा प्रबंधन विभाग
गृह मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA
DEPARTMENT OF BORDER MANAGEMENT
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI



भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण





वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2012-13

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण
LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA

लोकनायक भवन, प्रथम तल
Lok Nayak Bhawan, 1st Floor
खान मार्केट, नई दिल्ली – 110511
Khan Market, New Delhi - 110511



विषय सूची
CONTENTS

क्र.स. S. NO.	विवरण PARTICULARS	पृष्ठ स. PAGE NO.
1	वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT	1
2	तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा BALANCE SHEET, INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT	14
3	तुलन पत्र के अंग के रूप में अनुसूचियाँ SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET	16



वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2012-13

क. पृष्ठभूमि

1. भारत की 15000 किलोमीटर से अधिक लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय भूमि सीमा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल तथा पाकिस्तान के साथ लगती है। यात्रियों, सामान तथा वाहनों के सीमा पार जाने – आने के लिए अनेक निर्धारित प्रवेश एवं निकास स्थान हैं। लेकिन इन स्थानों पर विद्यमान सुविधाएँ अपर्याप्त हैं तथा एकीकृत एवं समेकित भी नहीं हैं। कोई एक एजेंसी विभिन्न सम्प्रभु कार्यों जैसे सुरक्षा, सीमा शुल्क, आप्रवास, पादप तथा पशु संगरोध आदि के लिए उत्तरदायी नहीं है। सरकारी कार्मिकों, यात्रियों तथा व्यापार के लिए कार्यालय स्थान, भंडारण, पार्किंग, बैंकिंग, विदेशी मुद्रा विनियमन ब्यूरो आदि जैसी सहायक सुविधाएँ अधिकतर अपर्याप्त हैं।
2. उपर्युक्त अपर्याप्त आधारभूत सुविधाओं को देखते हुए वर्ष 2003 में सचिवों की समिति ने भारत की भूमि सीमाओं के प्रमुख प्रवेश स्थानों पर एकीकृत चैक पोस्टों (आई. सी. पी.) स्थापित करने की सिफारिश की। एकीकृत चैक पोस्टों पर सभी संबंधित एजेंसियाँ जैसे सीमा शुल्क, आप्रवास, सीमा रक्षक बल, पादप संगरोध आदि के लिए एक एकीकृत परिसर में सिंगल विंडो के रूप में सभी आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कहा गया, जैसे वायुपत्तनों तथा बंदरगाहों पर पहले से विद्यमान हैं।
3. सचिवों की समिति ने वर्ष 2004 में सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय के अधीन एक अन्तर मंत्रालय कार्यबल स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया। कार्यबल को निम्नलिखित कार्यों का पर्यवेक्षण करना था:—
 - (क) एक सांविधिक निकाय – भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एल.पी.ए.आई.) की स्थापना करना तथा सभी एकीकृत चैक पोस्टों को उसके अधिकार क्षेत्र में लाना था
 - (ख) यह भी कहा गया था कि भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एल.पी.ए.आई.) की स्थापना होने तक सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधित्व वाली एक अधिकार प्राप्त संचालन समिति कार्य करेगी।
4. मंत्रिमण्डल की सुरक्षा समिति ने 23.11.2006 को 13 स्थानों पर एकीकृत चैक पोस्ट तथा भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की स्थापना हो जाने तक सचिव (सीमा प्रबंधन) की अध्यक्षता में अंतरिम उपाय के रूप में एक अंतर मंत्रालय अधिकार प्राप्त संचालन समिति की स्थापना के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया।
5. मंत्रिमण्डल की आर्थिक मामलों की समिति ने 6.11.2008 को हुई अपनी बैठक में सरकारी निधि से एकीकृत चैक पोस्ट के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान किया। मंत्रिमण्डल की आर्थिक मामलों की समिति ने ₹ 635 करोड़ की अनुमानित लागत पर चरण-1 में अटारी, रैक्सोल, पेट्रापोल, तथा मोरेह में 4 एकीकृत चैक पोस्ट की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया जिसमें ₹ 57 करोड़ की राशि भूमि अधिग्रहण के लिए तथा अन्य एकीकृत चैक पोस्टों हेतु परामर्श शुल्क के रूप में शामिल थी। मंत्रिमण्डल की आर्थिक मामलों

A. BACKGROUND

1. India has over 15000 kms long international land border with Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, China, Myanmar, Nepal and Pakistan. There are several designated entry and exit points for cross border movement of people, goods and vehicles. The existing infrastructure at these points for discharge of various sovereign functions is neither adequate nor integrated nor coordinated. No single agency is responsible for coordination of various statutory functions including those of security, customs, immigration, plant and animal quarantine, etc. The provision of support facilities for the Government personnel, trade and the passengers such as office space, warehousing, parking, banking, foreign exchange bureau's etc are mostly inadequate.
2. Concerned at the above inadequacy of infrastructure, the Committee of Secretaries (CoS) in 2003 recommended setting-up of Integrated Check Posts (ICPs) at major entry points on India's land borders. These ICPs were to house all concerned agencies like Customs, Immigration, Border Guarding Force, Plant Quarantine etc. along with necessary support facilities in a single unified complex equipped with all modern amenities to serve as a single window facility as is already prevalent at Airports and Seaports.
3. The Committee of Secretaries approved the setting-up of an Inter-Ministerial Working Group (IMWG) under the Department of Border Management, Ministry of Home Affairs in 2004. The IMWG was to oversee the following :-
 - a. Setting up of a statutory body - Land Ports Authority of India (LPAI) and to bring all the ICPs under its purview.
 - b. Pending setting up of LPAI, an Empowered Steering Committee (ESC), to function with representation from the concerned Ministries and State Governments under the Chairpersonship of the Secretary, Department of Border Management, Ministry of Home Affairs.
4. On 23.11.2006, the Cabinet Committee on Security (CCS) approved in principle the setting up of ICPs at 13 locations and setting up of the Land Ports Authority of India. It also approved the setting up of an Inter-Ministerial Empowered Steering Committee (ESC) under the Chairpersonship of the Secretary (Border Management) as an interim measure till the LPAI came into existence.
5. Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) in its meeting held on 06.11.2008 approved the construction of ICPs with Government funding. The CCEA approved setting up of 4 ICPs at Attari, Raxaul, Petrapole and Moreh in Phase-I at an estimated cost of ₹ 635 crore inclusive of ₹ 57 crore for acquisition of land and administrative consultancy charges for the other ICPs. CCEA also approved taking up of



भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

की समिति ने चरण-1 के भाग के रूप में दावकी तथा अगरतला में एकीकृत चैक पोस्ट की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया बशर्ते कि उपयुक्त प्राधिकारी से समुचित परियोजना क्लियरेंस प्राप्त हो जाए। 13 एकीकृत चैक पोस्टों में परस्पर परिवर्तन के लिए अधिकार प्राप्त संचालन समिति / भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण को प्राधिकृत किया गया।

6. अधिकार प्राप्त संचालन समिति (ई.एस.सी) का गठन, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण द्वारा कार्य आरम्भ किए जाने तक अंतरिम उपाय के रूप किया गया था। ई.एस.सी को ₹100 करोड़ के व्यय तक के प्रस्तावों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय लेने के लिए शक्ति प्रदान की गई थी। अन्य बातों के साथ-साथ ई.एस.सी के कार्यों में तकनीकी एवं वाणिज्यिक सलाहकार/परियोजना विकासकर्ताओं को लगाना, विभिन्न एकीकृत चैक पोस्टों के क्रियान्वयन / प्रचालन के लिए निर्माताओं / डेवलपर्स की पहचान करना, निधिओं की व्यवस्था करना, मसौदा परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) / विस्तृत अभियांत्रिक रिपोर्ट (डी.ई.आर.) को अंतिम रूप प्रदान करना, निधियाँ जारी करना, परियोजनाओं की मॉनीटरिंग करना तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना शामिल था। अधिकार प्राप्त संचालन समिति (ई.एस.सी) की कुल 32 बैठक हुईं जिनमें एकीकृत चैक पोस्टों के संबंध में सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ई.एस.सी की अन्तिम बैठक 29 फरवरी, 2012 को अटारी में आयोजित की गई।
7. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 31^{वाँ} ख) संसद द्वारा 31 अगस्त, 2010 को पारित किया गया जिससे भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। तत्पश्चात सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 22 के साथ पठित एल.पी. ए.आई. अधिनियम 2010 की धारा 34 की उप धारा (2) द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण नियम, 2011 बनाए। एल.पी.ए.आई. नियम 20 जुलाई, 2011 को अधिसूचित किए गए तथा ये एल.पी.ए.आई. अधिनियम की तारीख से लागू हो गए। पहली मार्च, 2012 निर्धारित की।

ख. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की स्थापना

एल.पी.ए.आई. अधिनियम, 2010 की धारा (1) की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने दिनांक 24 फरवरी, 2012 की अधिसूचना द्वारा एल.पी.ए.आई. अधिनियम, 2010 के लागू होने की तारीख पहली मार्च, 2012 निर्धारित की। इस प्रकार 01.03.2012 को भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की स्थापना हुई। एल.पी.ए.आई. की स्थापना एक सांविधिक निकाय के रूप में हुई है जो सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में निगमित निकाय के रूप में कार्य करेगा। एल.पी.ए.आई. भारत की भू-सीमाओं पर प्रवेश स्थानों / भूमि पत्तनों के बेहतर प्रशासन तथा एक समान प्रबंधन मुहैया कराएगी तथा इसके पास वे सभी शक्तियाँ होंगी जो इस प्रकार के संगठनों जैसे भारतीय वायुपत्तन प्राधिकरण के पास हैं।

ICPs at Dawki and Agartala as part of Phase-I subject to the clearance of the firmed up project cost by the appropriate authority and also authorised ESC/LPAI for inter-se change in the priority amongst the 13 ICPs.

6. The Empowered Steering Committee (ESC) was constituted as an interim arrangement, till LPAI became operational. The ESC was empowered to take administrative and financial decisions on proposals involving expenditure up to ₹ 100 crore. The functions of ESC thus inter-alia, included engaging technical and commercial consultants/project developers, identifying builders/developers for execution/operations of various ICPs, arranging funds, finalization of Draft Project Report (DPR)/Detailed Engineering Report (DER), release of funds, monitoring of projects, coordination with various Government agencies, etc. A total of 32 meetings of ESC were held wherein all important decisions relating to the ICPs were taken. The last meeting of the ESC was held at Attari on 29th February 2012.
7. The Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010) was enacted by Parliament on 31st August 2010 paving the way for the establishment of LPAI. Subsequently, in exercise of powers conferred by sub-section(2) of Section 34 of the LPAI Act 2010 read with Section 22 of the General Clauses Act 1897 (10 of 1897) the Central Government made the Land Ports Authority of India Rules, 2011. The LPAI Rules were notified on 20th July 2011 and came into force from the same date of the LPAI Act. i.e 1st March 2012.

B. ESTABLISHMENT OF LPAI

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section (1) of the LPAI Act 2010, the Central Government vide its Gazette Notification dated 24th February 2012 appointed 1st March 2012 as the date of the LPAI, Act 2010 to come into force. The LPAI was thus established on 01.03.2012. The LPAI had been envisaged as a statutory body which will function as a body corporate under the administrative control of the Department of Border Management, Ministry of Home Affairs. The LPAI is to provide better administration and cohesive management of entry points/Land Ports on the land borders of India and vested with the powers on the lines of similar bodies like Airports Authority of India.



ग. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण का गठन

1. एल.पी.ए.आई. अधिनियम, 2010 की धारा 3 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने पहली मार्च, 2012 से एल.पी.ए.आई. का गठन किया, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

(क) अध्यक्ष

(ख) दो सदस्य- अर्थात्

(i) सदस्य (योजना एवं विकास) तथा

(ii) सदस्य (वित्त)

(ग) पदेन सदस्य- अर्थात्:

(i) संयुक्त सचिव, सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय।

(ii) संयुक्त सचिव (बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव प्रभाग) विदेश मंत्रालय।

(iii) संयुक्त सचिव (जनरल स्टाफ), रक्षा मंत्रालय।

(iv) संयुक्त सचिव एवं लेजिस्लेटिव काउन्सेल, विधायी विभाग।

(v) संयुक्त सचिव (राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन एवं वर्षा आधारित कृषि प्रणाली प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग।

(vi) आयुक्त (कस्टम) केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग।

(vii) संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग (दक्षिण एशिया)

(viii) कार्यकारी निदेशक, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन (स्टील), रेल मंत्रालय, रेल बोर्ड।

(ix) संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय।

घ. निम्नलिखित राज्यों के मुख्य सचिव अथवा उनके नामित जो सचिव के पद से नीचे न हो:- (i) असम (ii) बिहार (iii) मणिपुर (iv) मेघालय (v) मिजोरम (vi) पंजाब (vii) त्रिपुरा (viii) उत्तर प्रदेश (ix) पश्चिम बंगाल।

ड. श्रमिकों की मान्यताप्राप्त संस्थाओं से एक प्रतिनिधि (केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा)। व्यापारियों की मान्यताप्राप्त संस्थाओं से एक प्रतिनिधि (केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा)

C. CONSTITUTION OF LPAI

1. In exercise of the powers conferred by Section 3 of the LPAI Act 2010 the Central Government constituted the LPAI with effect from 1st March 2012 consisting of the following:

(a) Chairperson

(b) Two members – namely

(i) Member (Planning & Development), and

(ii) Member (Finance)

(c) **ex-officio members – namely**

(i) Joint Secretary, Department of Border Management, Ministry of Home Affairs

(ii) Joint Secretary (Bangladesh, Sri Lanka & Maldives Division), Ministry of External Affairs

(iii) Joint Secretary (General Staff), Ministry of Defence

(iv) Joint Secretary & Legislative Counsel, Legislative Department

(v) Joint Secretary (National Resources Management and Rainfed farming System Division) Department of Agriculture & Cooperation

(vi) Commissioner (Customs), Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue

(vii) Joint Secretary, Department of Commerce (South Asia)

(viii) Executive Director, Traffic Transportation (Steel), Ministry of Railways, Railway Board

(ix) Joint Secretary, Ministry of Road Transport and Highways

(d) Chief Secretary or his nominees not below the rank of the Secretary to the State Government of the each of the following states:- (i) Assam, (ii) Bihar, (iii) Manipur, (iv) Meghalaya, (v) Mizoram, (vi) Punjab, (vii) Tripura, (viii) Uttar Pradesh, (ix) West Bengal.

(e) (i) One representative from recognised bodies of workers (to be appointed by Central Government), (ii) One representative from recognised bodies of traders (to be appointed by Central Government)



भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

घ. प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य

वर्ष 2012-13 में निम्नलिखित नियमित सदस्यों ने एल.पी. ए.आई. में अपने पदों पर कार्य किया:-

क्रम सं.	नाम	पद की अवधि	
		से	तक
1.	श्री अनिल गोस्वामी, अपर सचिव, गृह मंत्रालय, अध्यक्ष अतिरिक्त कार्यभार	01.03.12	31.05.12
2.	श्री वाई. एस. शहरावत, अध्यक्ष	31.05.12	31.03.13 तक जारी
3.	श्री महेन्द्र रंगा सदस्य (योजना एवं विकास)	26.03.12	31.03.13 तक जारी
4.	डॉ. प्रफुल्ल केरकटा संयुक्त सचिव, (कार्मिक - वित्त), गृह मंत्रालय, सदस्य (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार	26.03.12	31.03.13 तक जारी

वर्ष के दौरान नियमित सदस्य (वित्त) नहीं थे ।

ड. प्राधिकरण के कार्य

एल.पी.ए.आई. के कार्य एल.पी.ए.आई. अधिनियम, 2010 की धारा 11 में निर्धारित किए गए हैं जिसमें अन्य के साथ-साथ भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निर्धारित स्थानों पर यात्रियों तथा सामान के सीमा पार आने-जाने के लिए सुविधाओं का विकास, तत्संबंधी जानकारी एवं प्रबंधन शामिल है। प्राधिकरण द्वारा ऐसी प्रणालियों स्थापित की जाएंगी जिनके माध्यम से एकीकृत चौक पोस्टों पर सुरक्षा आवश्यकताओं सहित सीमा शुल्क, आप्रवास, सुरक्षा, पशु एवं पादप संगरोध, वेअरहाउस, कार्गो एवं सामान परीक्षण स्थल, पार्किंग क्षेत्र, बैंक, डाकघर, संचार सुविधाएं, पर्यटक सूचना केन्द्र, प्रतीक्षालय, कैटीन, जलपान स्टॉल, जन-सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं तथा अन्य सेवाएं जिन्हें आवश्यक समझा जाएगा उपलब्ध कराई जायेंगी। प्राधिकरण अधिनियम द्वारा निर्धारित अथवा दिए गए अन्य कार्यों को सम्पादित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा एवं संप्रभु कार्यों को किसी निजी निकाय को नहीं सौंपेगा।

च. प्राधिकरण की बैठकें

1. वर्ष 2012-13 में एल.पी.ए.आई. की तीन बैठकें हुई। विवरण इस प्रकार है:-

एल.पी.ए.आई. की बैठकें	तारीख
पहली	01.08.2012
दूसरी	06.09.2012
तीसरी	20.03.2013

D. CHAIRPERSON AND MEMBERS OF THE AUTHORITY

During the year 2012-13, the following Chairperson and regular Members held office in LPAI:

S. No	Name	Office Held	
		From	To
1	Sh. Anil Goswami Additional Secretary, Ministry of Home Affairs with additional charge of Chairperson	01.03.12	31.05.12
2	Sh. Y.S. Shahravat Chairman	31.05.12	continuing as on 31.03.13
3	Sh. Mahendra Ranga Member(Planning & Development)	26.03.12	continuing as on 31.03.13
4	Dr. Prafulla Kerketta JS (Pers-Finance), Ministry of Home Affairs with additional charge of Member (Finance)	26.03.12	continuing as on 31.03.13

There was no regular Member (Finance) appointed in the year under report.

E. FUNCTIONS OF THE AUTHORITY

The functions of LPAI have been prescribed in Section 11 of the LPAI Act, 2010 which inter alia includes to develop, sanitize and manage the facilities for cross border movement of passengers and goods at designated points along the International borders of India. It may put in place systems, which address security imperatives at the integrated check post, inter alia, provide appropriate space and facilities for customs, immigration, security, animal and plant quarantine, warehouse, cargo and baggage examination area, parking zones, banks, post offices, communication facilities, tourist information centres, waiting halls, canteen, refreshment stalls, public conveniences, health services and such other services, as may be deemed necessary. It shall take all necessary steps to discharge the functions as conferred or imposed by the Act provided that Sovereign functions of the Authority shall not be assigned to any private entity.

F. MEETINGS OF THE AUTHORITY

1. During the year 2012-13 three meetings of the LPAI Authority were held as per details given below:

Meetings of LPAI	Date
First	01.08.2012
Second	06.09.2012
Third	20.03.2013



2. पहली अगस्त, 2012 को एल.पी.ए.आई. की पहली बैठक का उद्घाटन श्री अशोक कुमार मंगोतरा, सचिव (सीमा प्रबंधन) सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया।

2. The first meeting of LPAI, held on 1st Aug. 2012, was inaugurated by Sh. Ashok Kumar Mangotra, Secretary (Border Management), Department of Border Management, Ministry of Home Affairs, Government of India.

छ. वार्षिक वित्तीय परिणामों का सारांश

1. एकीकृत चैक पोस्टों के विकास से संबंधित व्यय तथा एकीकृत चैक पोस्टों प्रचालन से जुड़े प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय की अनुदानों की वार्षिक मांग में व्यवस्था की गई एवं तदनुसार वे सीधे भारत की समेकित निधि से पूरे किए गए। एकीकृत चैक पोस्टों के विकास के व्यय के लिए स्वीकृतियाँ सीमा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी की जाती हैं तथा गृह मंत्रालय के रोकड़ अनुभाग द्वारा भुगतान किया जाता है। अन्य व्ययों के लिए एल.पी.ए.आई. द्वारा स्वीकृति जारी की जाती है लेकिन भुगतान गृह मंत्रालय के रोकड़ अनुभाग द्वारा किया जाता है।
2. एकीकृत चैक पोस्टों के विकास के लिए तथा एल.पी.ए.आई. का दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक व्यय भारत की समेकित निधि से पूरे किए गए। इसी प्रकार राजस्व प्राप्तियाँ भी भारत की समेकित निधि में जमा कराई गई।
3. एल.पी.ए.आई. अधिनियम, 2010 की धारा 25 (1) के अधीन अपेक्षित एवं एल.पी.ए.आई. नियम, 2011 के नियम - 13 के अधीन निर्धारित प्रारूपों के अनुसार वार्षिक लेखों का विवरण प्रोफार्मा के आधार पर तैयार किया गया है।
4. एल.पी.ए.आई. 01.03.2012 को अस्तित्व में आया था। अतः 01.04.2012 से पूर्व सरकार द्वारा कंसलटेंसी, भूमि एवं भवन आदि पर आई. सी.पी. के सृजन के लिए किया गया व्यय वर्ष 2012-13 के एल.पी.ए.आई. प्रथम लेखा-विवरण में लेखाबद्ध किया गया।
5. रिपोर्ट वर्ष में प्राधिकरण की आय ₹280.93 लाख थी जिसमें आई.सी.पी. अटारी के लिए सी.डब्ल्यू.सी. से एल.पी.ए.आई. के भाग के ₹227.88 एवं राइट्स के पास जमा पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय ₹ 53.05 लाख शामिल हैं।

ज. पूंजी संरचना, लम्बी अवधि के ऋणों एवं अन्य महत्वपूर्ण मदों में परिवर्तन

ऊपर दिए गए स्पष्टीकरण के मद्देनजर 'शून्य' है।

झ. विदेशी मुद्रा विनिमय

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में कोई आय अथवा व्यय नहीं हुआ।

त्र. वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा

वर्ष के लिए व्यय एवं राजस्व को भारत की समेकित निधि में सीधे लेखाबद्ध किया गया। इन्हें भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा गृह मंत्रालय के लेखों के भाग के रूप यथासमय लेखा परीक्षा की जाएगी। वर्ष के दौरान भूमि पत्तन प्राधिकरण की सी.ए.जी. द्वारा अलग से की कोई लेखा परीक्षा नहीं की गई।

G. SUMMARY OF ANNUAL FINANCIAL RESULTS

1. The expenses pertaining to development of ICPs as also the administrative and general expenses related to the operations of ICPs are provided in the annual demand for grants and are accordingly met directly from the Consolidated Fund of India. For making expenditure towards development of ICPs the sanctions are issued by Department of Border Management and paid by Cash Section of MHA. For other expenditures, the sanction is issued by LPAI but the payment is made by Cash Section of MHA.
2. The expenditure towards development of ICPs and day to day administrative expenses of LPAI had been met from the Consolidated Fund of India. Likewise, revenue receipts had also been deposited in the Consolidated Fund of India.
3. The annual statement of accounts as required under section-25 (1) of the LPAI Act, 2010 have been prepared on proforma basis as per the formats prescribed under Rule-13 of the LPAI Rules, 2011.
4. LPAI came into existence on 01.03.2012. Thus all the expenses incurred on consultancy, land & buildings etc. by the Government prior to 01.04.2012 for creation of ICPs have been accounted for in the 1st annual statement of accounts of LPAI for the year 2012-13.
5. During the year under report, the income of the Authority was ₹ 280.93 lakh comprising of ₹ 227.88 Lakh from CWC towards LPAI share for ICP Attari and ₹ 53.05 lakh towards interest income on the deposits with RITES.

H. CHANGES IN CAPITAL STRUCTURE, LONG TERM LOANS AND OTHER SIGNIFICANT ITEMS

Nil in view of the explanation given above.

I. FOREIGN EXCHANGE

There were no earnings or expenditures in foreign currency during the year.

J. AUDIT OF ANNUAL ACCOUNTS

The expenditure and revenue for the year were booked directly in the Consolidated Fund of India. These will be audited as a part of the Ministry of Home Affairs accounts by the Comptroller & Auditor General of India in due course. No separate C&AG audit of Land Ports Authority was carried out during the year.



भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

ट. वर्ष के दौरान नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा प्रमुख घटनाएँ जिनसे एल.पी.ए.आई. की लाभकारिता प्रभावित हुई।

वर्ष की निम्नलिखित प्रमुख घटनाएँ थीं जिनसे एल.पी.ए.आई. व्यय/लाभकारिता प्रभावित हुई:-

(क) दिनांक 13.04.2012 को भारत-पाकिस्तान सीमा पर अटारी में देश की पहली एकीकृत चैक पोस्ट का उद्घाटन।

(ख) भारत सरकार के उपक्रम केंद्रीय भंडारण निगम (सी. डब्लू. सी.) की राजस्व में भागीदारी के आधार पर एकीकृत चैक पोस्ट अटारी पर व्यापार से संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन के लिए अभिरक्षक के रूप में नियुक्ति।

(ग) सी. डब्लू. सी. के साथ 24.01.2013 को करार पर हस्ताक्षर।

(घ) एकीकृत चैक पोस्ट अटारी पर व्यापार से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए शुल्कों का निर्धारण।

(ङ.) आई.सी.पी. अटारी में आयात / निर्यात को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए क्लियरिंग एवं हैंडलिंग एजेंटों (सी.एच.ए.) को स्थान का आबंटन।

(च) आई.सी.पी. रक्सौल में ₹ 5.52 करोड़ की लागत पर आंतरिक साज-सज्जा का प्रावधान।

(छ) निविदा में उच्च लागत के कारण प्रशासनिक अनुदानों एवं स्वीकृति में संशोधन।

ठ. प्राधिकरण के कार्यों एवं लाभकारिता में सुधार के लिए किए गए उपाय

- देश में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होने का गौरव प्राप्त करने वाली अटारी स्थित एकीकृत चैक पोस्ट पर विभिन्न गतिविधियों की कार्यविधियों को सरल तथा सुविधाजनक बनाया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य कार्गो तथा यात्रियों के लिए कार्यविधियों में लगने वाले समय को कम करना था। कार्गो के प्रकार तथा प्रकृति पर विशेष बल दिया गया। शुल्कों को कम करते हुए क्लियरिंग को और अधिक कुशल बनाया गया। यात्रियों के लिए बैंकिंग, विदेशी मुद्रा विनियमन, बैठने के स्थान की व्यवस्था जैसी सुविधाएं प्रारम्भ की गईं। आपातकाल / प्राथमिक चिकित्सा सहायता सुविधाएं प्रदान की गईं। यात्रियों के आने-जाने के लिए जीरो लाइन से आई. सी. पी. अटारी तक जाने-आने के लिए नियमित एवं निःशुल्क बस सेवा प्रदान की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए सामान-ट्राली तथा व्हीलचेयर की भी व्यवस्था की गई। स्वच्छता संबंधी सुविधाओं को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले तथा जाने वाले दोनों ही प्रकार के यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की गईं। इसी प्रकार कार्गो-ट्रकों के चालकों के आराम हेतु सुविधाएं मुहैया कराई गईं। एकीकृत चैक पोस्ट पर नाममात्र कीमत पर कैंटीन सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई। ये सब कार्य एकीकृत चैक पोस्ट पर सुरक्षा पहलु को सर्वोपरि रखते हुए किए गए।

K. IMPORTANT CHANGES IN POLICY AND MAJOR EVENTS DURING THE YEAR WHICH INFLUENCED OR AFFECTED THE PROFITABILITY OF THE AUTHORITY DURING THE YEAR

The following are the major events that happened during the year which influenced the expenditure / profitability of LPAI:

- Inauguration of first ICP of the country located at Attari on India-Pakistan border on 13.04.2012.
- Appointment of Central Warehousing Corporation (CWC) - a Government of India Undertaking as Custodian of ICP Attari to manage the trade related activities on revenue sharing basis.
- Signing of the agreement with CWC on 24.01.2013.
- Fixed the tariff for various trade related services at ICP Attari.
- Allotment of space to Clearing and Handling Agents (CHAs) at ICP Attari for facilitating imports/exports;
- Provision of interiors and furnishing package at ICP Raxaul at a cost of ₹5.52 crore;
- Revision of Administrative Approval and Expenditure Sanction of ICP Moreh due to higher cost in tender.

L. MEASURES TAKEN TO IMPROVE THE FUNCTIONS AND PROFITABILITY OF THE AUTHORITY

- Endowed with the honour of being the first state-of-the-art ICP of the Country located at Attari, the procedures for various activities were stream lined. The primary objective was to reduce the dwell time for cargo handling and processing time for passengers. Special emphasis was given to the type and nature of cargo and efficient clearance was incentivised through lower tariff. Adequate facilities for convenience of passengers such as banking, foreign exchange bureau, seating area were initiated. Emergency/ First aid medical facilities have been set up. Regular free bus service have been provided for movement of passengers from zero line to the ICP and vice versa. Baggage trolleys and wheel chairs have also been provided for the convenience of passengers. The maintenance of the neat and clean facilities at the ICP have been encouraged. All the facilities for passengers are provided free of cost to the both incoming and outgoing passengers. Similar facilities for restroom for drivers etc of the cargo trucks are provided free of cost. The canteen facilities are also provided at the ICP at a nominal price. All this has been done without compromising on the security aspect of the location of the ICP.



2. एकीकृत चैक पोस्ट की मूल संकल्पना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भूमि सीमाओं पर यात्रियों तथा वाहनों के संचलन को सरल तथा सुविधाजनक बनाने सहित निर्बाध तथा सुरक्षित सेवाओं के लिए विश्व स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यह वास्तविकता है कि आई. सी. पी की स्थापना से पूर्व भूमि सीमाओं पर इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं तथा जो थीं, वे पर्याप्त नहीं थीं। एकीकृत चैक पोस्टों के प्रचालनों के फलस्वरूप न केवल आयात एवं निर्यात बढ़ा है बल्कि रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई, आय भी बढ़ी, सीमा पर वातावरण में स्थिरता आने सहित सीमा पार एक साकारात्मक दृष्टिकोण एवं समावेशी विकास को नई दिशा प्राप्त हुई। एकीकृत चैक पोस्टों के आरम्भ होने से पहले सेवा कर का संग्रह नहीं किया जाता था। सेवा कर इकट्ठा किए जाने से राजकोष में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त आस पास के क्षेत्रों में व्यापार तथा आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने के कारण सीमा शुल्क संग्रहण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उछाल आया

ड. स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में हुई प्रगति

1. **स्वीकृत / अनुमोदित आई.सी.पी.**
मंत्रिमण्डल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा वर्ष 2008 में 4 आई. सी.पी. अनुमोदित करने सहित अधिकार प्राप्त संचालन समिति ने अगरतला तथा जोगबनी में क्रमशः ₹73.50 करोड़ एवं ₹82.49 करोड़ की लागत से दो अतिरिक्त आई.सी.पी. की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की।

लागत सहित 13 आई.सी.पी. की सूची इस प्रकार है:

(₹ करोड़)

क्रम सं.	स्थान	राज्य	आन्तर्राष्ट्रीय सीमा	अनुमानित लागत	अनुमोदित लागत
चरण-1					
1	पैट्रापोल	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश	87	172**
2	मोरेह	मणिपुर	भारत-म्यांमार	70	136**
3	रक्सौल	बिहार	भारत-नेपाल	100	120**
4	अटारी	पंजाब	भारत-पाकिस्तान	85	150**
5	दावकी	मेघालय	भारत-बांग्लादेश	50	-*
6	अगरतला	त्रिपुरा	भारत-बांग्लादेश	60	73.50***
7	जोगबनी	बिहार	भारत-नेपाल	34	82.49***
चरण-2					
8	हिली	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश	78	-*
9	चंगराबन्धा	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश	64	-*
10	सूतारकंडी	असम	भारत-बांग्लादेश	16	-*
11	कवारपच्छही	मिजोरम	भारत-बांग्लादेश	27	-*
12	सुनौली	उत्तर प्रदेश	भारत-नेपाल	34	-*
13	रूपईडिहा	उत्तर प्रदेश	भारत-नेपाल	29	-*

* सुनिश्चित होनी है

** सी.सी.ई.ए. द्वारा अनुमोदित

*** ई.एस.सी. द्वारा अनुमोदित

2. The basic concept of the ICP is to facilitate the international trade, movement of passengers and vehicles across the land borders, besides providing world class infrastructure for seamless and secure services. It is a matter of fact that such services were first of all not available at the land borders in one single composite complex before the commissioning of the ICPs and even if available were inadequate. The operations at ICPs resulted not only increased volume of both imports and exports but also generated employment opportunities, augmented income, stabilized the border environment and catalysed all inclusive growth besides other positive externalities. Service tax hitherto not collected at all prior to the commissioning of the ICPs, is a new addition to the national exchequer, besides the quantum leap in customs duty due to growth in trade and enhanced economic activities in the surrounding areas.

M. PROGRESS IN EXECUTION OF SANCTIONED PROJECTS

1. Sanctioned / approved ICPs

Apart from the 4 ICPs approved by CCEA in 2008, the ESC sanctioned two additional ICPs at Agartala and Jogbani at an estimated cost of ₹ 73.50 crore and ₹ 82.49 crore respectively.

A List of the 13 ICPs along with their cost is as under:

(₹ Crore)

S. No.	Location	State	International Border Cost	Estimated Cost	Approved
Phase-I					
1	Petrapole	West Bengal	India-Bangladesh	87	172**
2	Moreh	Manipur	India-Myanmar	70	136**
3	Raxaul	Bihar	India-Nepal	100	120**
4	Attari	Punjab	India-Pakistan	85	150**
5	Dawki	Meghalaya	India-Bangladesh	50	-*
6	Agartala	Tripura	India-Bangladesh	60	73.50***
7	Jogbani	Bihar	India-Nepal	34	82.49***
Phase-II					
8	Hili	West Bengal	India-Bangladesh	78	-*
9	Changrabandha	West Bengal	India-Bangladesh	64	-*
10	Sutarkhandi	Assam	India-Bangladesh	16	-*
11	Kawarpuchhia	Mizoram	India-Bangladesh	27	-*
12	Sunauli	Uttar Pradesh	India-Nepal	34	-*
13	Rupaidiha	Uttar Pradesh	India-Nepal	29	-*

* To be firm up

** Approved by CCEA

*** Approved by ESC



भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

2. विभिन्न एकीकृत चैक पोस्टों (आई.सी.पी.) के क्रियान्वयन में हुई प्रगति।

2.1 प्रचालित आई.सी.पी.

आई.सी.पी. अटारी: आई.सी.पी. भारत-पाकिस्तान सीमा पर पंजाब में अमृतसर से लगभग 23 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। पाकिस्तान में वाघा इसका समकक्ष स्थान है। यह आई.सी.पी. लगभग 118 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। इस परियोजना की लागत ₹ 150 करोड़ है तथा आई.सी.पी. अटारी के निर्माण का ठेका 3 फरवरी, 2010 को प्रदान किया गया था। आई.सी.पी. अटारी की आधारशिला माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 20 फरवरी, 2010 को रखी गई थी। आई.सी.पी. का निर्माण कार्य 28 मार्च, 2012 को पूरा हुआ तथा इसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 13 अप्रैल, 2012 को किया गया।

आई.सी.पी. अटारी स्थित कार्गो टर्मिनल का प्रचालन तथा प्रबंधन का कार्य भारत सरकार के उपक्रम केंद्रीय भंडारण निगम को ई.एस.सी. द्वारा नामांकन के आधार पर एक अभिरक्षक के रूप में सौंपा गया। ई.एस.सी. द्वारा अनुमोदित निबंधन एवं शर्तों पर एल.पी.ए.आई. द्वारा 24.01.2013 को केंद्रीय भंडारण निगम के साथ एकीकृत चैक पोस्ट के लिए औपचारिक करार किया गया।

आई.सी.पी. अटारी में जहाँ तक उपलब्ध सुविधाओं का संबंध है, इनमें यात्री टर्मिनल, आयात-निर्यात भंडारगृह, कार्गो टर्मिनल बिल्डिंग, सीमा शुल्क बिल्डिंग, शयनागार, संगरोध खण्ड, प्रसाधन खण्ड, औषधालय, खुले कार्गो के लिए स्थान, विद्युत सब स्टेशन, ट्रकों के लिए पार्किंग क्षेत्र, छानबीन शैड, वे-ब्रिज, सुरक्षा तथा निगरानी उपकरण, जल्था शैड, बैंक तथा जलपान गृह शामिल हैं।

आई.सी.पी. अटारी के प्रचालन से भारत-पाकिस्तान सीमा पर व्यापार में तीव्र वृद्धि हुई है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है:-

(₹ करोड़)				
वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	% वृद्धि
2011-12	1375	965	2340	—
2012-13	3052	1748	4800	105

2.2 आई.सी.पी. जिनमें विकास कार्य चल रहा है

(क) आई.सी.पी. अगरतला :- आई.सी.पी. अगरतला, त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला नगर निगम की सीमा के अंदर तथा भारत-बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। इस आई.सी.पी. का बांग्लादेश में समकक्ष स्थान अखुरा है। यह आई.सी.पी. 11.72 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। इसके निर्माण का ठेका 13.04.2011 को प्रदान किया गया। परियोजना की अनुमोदित लागत ₹ 73.50 करोड़ है। इसकी आधारशिला माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 01.05.2011 को रखी गई। इस सीमा कासिंग पर व्यापार की कुल मात्रा लगभग ₹ 250 करोड़ प्रति वर्ष है।

2. Progress in execution of different ICPs

2.1 Operational ICP

ICP Attari: ICP Attari is located about 23 kms from Amritsar in the State of Punjab, on the India-Pakistan border. Wagah is the corresponding place at Pakistan side. The ICP is spread over an area of about 118 acres. The approved cost of the project was ₹ 150 crore and the contract for construction of ICP Attari was awarded on 3rd February 2010. The foundation stone of the ICP was laid by the Hon'ble Union Home Minister on 20th February 2010. The construction of ICP was completed on 28th March 2012 and it was inaugurated by the Hon'ble Union Home Minister on 13th April 2012.

Operation and management of cargo terminal at ICP Attari has been awarded to Central Warehousing Corporation - a Government of India Undertaking to act as Custodian on nomination basis by the ESC and a formal agreement on the ESC approved terms and conditions had also been executed by LPAI with CWC on 24.01.2013.

The facilities available at ICP Attari include, passenger terminal, import and export warehouse, cargo terminal building, customs service building, dormitory, quarantine block, toilet block, dispensary, area for loose cargo, electric sub-station, parking area for trucks, rummaging sheds, weigh bridges, security & surveillance equipments, jatha shed, banks and restaurant.

With the operationlization of the ICP Attari, the trade through India-Pakistan border has witnessed an exponential growth as is evident from the table given below:-

(₹ Crore)				
Year	Export	Import	Total Trade	% Increase
2011-12	1375	965	2340	-
2012-13	3052	1748	4800	105

2.2 ICPs under development

(a) ICP Agartala: ICP Agartala is situated within the municipal limits of Agartala, the capital city of the State of Tripura and is located on the India-Bangladesh border. Akhaura is the corresponding Check Post of Bangladesh to this ICP. The ICPs is spread over an area of 11.72 acres and the contract for construction of ICP was awarded on 13.04.2011. The approved cost of the project is ₹ 73.50 crore. The foundation stone of the ICP was laid by the Hon'ble Union Home Minister on 17.05.2011. The total volume of trade at this border crossing is about ₹ 250 crore per annum. As per the schedule, the project work was to



निर्माण अनुसूची के अनुसार, यह परियोजना 14 महीने के अंदर अर्थात् 27.06.2012 तक पूरी होनी थी। तथापि व्यवधानरहित भूमि न मिलने, भारी वर्षा, निर्माण स्थल में बाढ़ तथा बांग्लादेश सीमा गार्ड द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज के अंदर कार्य करने की आपत्तियों के कारण इस परियोजना में देरी हुई। वित्तीय वर्ष 2012-13 की समाप्ति पर परियोजना का कार्य प्रगति पर था तथा 75 % कार्य पूरा हो चुका था।

(ख) आई.सी.पी. जोगबनी : आई.सी.पी. जोगबनी बिहार राज्य के अररिया जिले में राज्य की राजधानी पटना से 330 कि.मी. की दूरी पर भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है। नेपाल में इसका समकक्ष स्थान बिराटनगर है। यह आई.सी.पी. 185.57 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 82 करोड़ है तथा इसके निर्माण का ठेका 14.06.2010 को प्रदान किया गया। इस आई.सी.पी. की आधारशिला माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 24.06.2010 को रखी गई।

निर्माण अनुसूची के अनुसार, यह परियोजना 14 महीने के अंदर अर्थात् 27.08.2011 तक पूरी होनी थी। तथापि परियोजना में मुख्यतः (i) मानसून पूर्व वर्षा / असामान्य वर्षा (ii) राज्य प्राधिकारियों द्वारा जमीन के मुआवजे का भुगतान न करने के कारण ग्रामीणों द्वारा आंदोलन (iii) पहुँच रोड न होने के कारण आई बाधा तथा (iv) बाँध के लिए अतिरिक्त कार्य करने के कारण देरी हुई।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंत में इस परियोजना का 50 % वास्तविक कार्य पूरा हो चुका था।

(ग) आई.सी.पी. मोरेह: आई.सी.पी. मोरेह मणिपुर राज्य के जिले चंदेल में मणिपुर की राजधानी इम्फाल के दक्षिण-पूर्व में 110 कि.मी. की दूरी पर भारत-म्यांमार सीमा पर स्थित है। म्यांमार में तामु कस्बा इसका समकक्ष स्थान है। मोरेह, मणिपुर राज्य की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यह स्थान दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। परियोजना की अनुमोदित लागत ₹136 करोड़ है। यह आई.सी.पी. 45.50 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि चिन्हित की गई है। निर्माण कार्य का ठेका 23.03.2013 को प्रदान किया गया था। तथापि ठेका प्रदान करने के पश्चात् निर्माण कार्य तुरंत शुरू नहीं हो सका क्योंकि परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि में असमानता थी।

(घ) आई.सी.पी. पैट्रापोल: आई.सी.पी. पैट्रापोल, पश्चिम बंगाल राज्य के नॉर्थ 24 परगना जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर राज्य की राजधानी कोलकाता से लगभग 80 की.मी. दूरी पर स्थित है। बांग्लादेश में बेनापोल इसका समकक्ष स्थान पर है। यह आई.सी.पी. 97.34 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है तथा परियोजना की अनुमोदित लागत ₹ 172 करोड़ है। लैण्ड कस्टम स्टेशन (एल.सी.एस.) पैट्रापोल को अब एकीकृत चैक पोस्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार का लगभग 70% इस एल.सी.एस. के माध्यम से किया जाता है तथा इसे भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप के लिए सबसे अधिक व्यस्त लैण्ड कस्टम स्टेशन माना गया है। पैट्रापोल स्थित वर्तमान एल.सी.एस. देश में सबसे अधिक यात्रियों के लिए सुविधाएं प्रदान करता है।

be completed in 14 months i.e. by 27.06.2012. However, the project got delayed due to non availability of hindrance free land in time, heavy rains, flooding of the site and stoppage of work due to objections raised by the Bangladesh Border Guards for working within 150 yards from international border. At the end of Financial Year 2012-13, the work of the project was in progress and almost 75% work was complete.

(b) ICP Jogbani: ICP Jogbani is situated in the District Araria, State of Bihar at a distance of 330 kms from the State Capital, Patna along India-Nepal border. Corresponding place in Nepal is Biratnagar. The ICP is spread over an area of 185.57 acres. The approved cost of the project is ₹ 82.49 crore and the contract was awarded for its construction on 14.06.2010. The foundation stone for construction of the ICP was laid by Hon'ble Union Home Minister on 24.06.2010.

As per the schedule of completion the project was to be completed in 14 months by 27th August, 2011. However the project got delayed mainly due to: (i) flooding and water logging of site due to pre monsoon/abnormal rains; (ii) agitation by villagers due to non-payment of land compensation by the State Authorities; (iii) hindrance due to non-availability of approach road and (iv) extra work in embankments.

At the time of close of financial year 2012-13, the physical progress of the project was 50%.

(c) ICP Moreh: ICP Moreh is located in the District Chandel, State of Manipur on India-Myanmar border and is at a distance 110 kms South-East of Imphal, the capital city of Manipur. Tamu is the corresponding town in Myanmar. Moreh is known as the commercial capital of the State of Manipur. It serves as India's Gateway to the South-East Asia. The approved cost of the project is ₹136 crore. The ICP is spread over an area of 45.50 acres of land identified by the State Government. The contract for the work was awarded on 23.03.2013. However, the construction work could not commence immediately on award of the contract due to the mismatch in the land acquired for the project.

(d) ICP Petrapole: ICP Petrapole is situated in the North 24 Parganas District of State of West Bengal at a distance of about 80 kms from the State Capital, Kolkata along India-Bangladesh border. Benapole is the corresponding place in Bangladesh. The ICP is spread in an area of 97.34 acres and approved cost of the project is ₹ 172 crore. Land Customs Station (LCS), Petrapole, now being developed as an Integrated Check Post, is the busiest LCS not only for India but in the whole of Asia and it accounts for about 70% of trade between India and Bangladesh. The present LCS at Petrapole also caters to maximum passengers through any LCS in the country.



भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

आई.सी.पी. पेट्रापोल का विकास कार्य दिनांक 18.08.2011 को दिए ठेके के साथ ही शुरू हो गया था। इस आई.सी.पी. की आधारशिला माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 19.08.2011 को रखी गई। निर्माण कार्य पूरा किए जाने की अनुसूची के अनुसार यह परियोजना 17 महीने बाद 3 फरवरी, 2013 को पूरी होनी थी। तथापि इस परियोजना के पूरा होने में कई कारणों से देरी हुई जिनमें अन्य के साथ प्रास्तावित आई.सी.पी. के लिए भूमि सौंपने में देरी, पहुँच रोड न होना, असामान्य वर्षा के कारण स्थल का बाढ़ग्रस्त होना तथा बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड द्वारा जीरो लाइन से 150 गज के अंदर कार्य रोक देना शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंत में, वास्तविक प्रगति 8% थी

(ड.) आई.सी.पी. रक्सौल: आई.सी.पी. रक्सौल बिहार राज्य के पूर्वी चम्पारन जिले में राज्य की राजधानी पटना से लगभग 230 कि. मी. दूर भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है। नेपाल में इसका समकक्ष स्थान बीरगंज है। यह आई.सी.पी. 234.88 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। परियोजना की अनुमानित लागत ₹172 करोड़ है। इसके निर्माण का ठेका 09.04.2010 को प्रदान किया गया। इसकी आधारशिला 24 अप्रैल, 2010 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा रखी गई।

निर्माण अनुसूची के अनुसार, यह परियोजना 23 जून, 2011 तक 14 महीने में पूरी होनी थी। तथापि इस परियोजना में विभिन्न कारणों जैसे ग्रामीणों द्वारा जमीन के मुआवजे में बढ़ोतरी के लिए आन्दोलन शुरू किए जाने से मार्च, 2011 से नवम्बर, 2012 के तीन बार में कुल 341 दिनों के लिए काम पूरी तरह रुका रहा। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य शुरू होने पर भारी वर्षा तथा मिट्टी-क्षेत्र में पानी भरना, रक्सौल से आई.सी.पी. स्थल तक पहुँच रोड का न होना, जीरो ग्राउंड पर वर्तमान नाले पर आर.सी.सी. पुलिया का निर्माण किए जाने से देरी हुई। गृह सचिव, भारत सरकार के नवम्बर, 2012 में हुए दौर के पश्चात ग्रामीणों द्वारा निर्माण कार्य आगे न बढ़ने के मामले का निपटान हो गया तथा दिसम्बर, 2012 से निर्माण कार्य पुनः शुरू हुआ।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंत तक 65% निर्माण कार्य पूरा हो चुका था।

(च) आई.सी.पी. दावकी: आई.सी.पी. दावकी शिलांग से 84 कि.मी. की दूरी पर मेघालय राज्य के दक्षिण-पूर्व में पश्चिम जैनता हिल्ज जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर विकसित की जानी है। यह आई.सी.पी. राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 40 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 44 से जुड़ी हुई है। आई.सी.पी. दावकी के लिए 2.96 हैक्टर भूमि अधिग्रहित की गई है। मैसर्स राइट्स, जिन्हें परियोजना कंसलटेंट नियुक्त किया गया है, ने सूचित किया है कि आई.सी.पी. की स्वच्छता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित करने का मामला राज्य प्रधिकारियों के साथ उठाया गया है।

The development of ICP at Petrapole commenced with the award of contract on 18th August, 2011. The foundation stone was laid by the Hon'ble Union Home Minister on 19th August 2011.

As per the schedule of completion, the project was to be completed after 17 months by 3rd February, 2013. However the project got delayed due to several factors including among others like delay in handing over the land of proposed ICP, unavailability of access road, flooding of site due to abnormal rains and stoppage of work within 150 yards from zero line by Border Guard Bangladesh.

At the time of close of financial year 2012-13, the physical progress of the project was 8%.

(e) ICP Raxaul: ICP Raxaul is situated in the District East Champaran, State of Bihar at a distance of about 230 kms from the State Capital, Patna along India-Nepal border. Birgunj is the corresponding place in Nepal. The ICP is spread over an area of 234.88 acres and approved cost of the project is ₹ 172 crore. The contract was awarded on 09.04.2010 and the foundation stone was laid by the Hon'ble Home Minister on 24th April 2010.

As per the schedule of completion the project was to be completed in 14 months by 23rd June, 2011. However the project got delayed due to various reasons like agitation by villagers for enhanced compensation of land leading to complete stoppage of work totalling 341 days in three spells between March 2011 to November 2012, heavy rains leading to floods after start of work, water logging in borrow area, non demarcation of boundary by Government of Bihar, constraint in approach road from Raxaul to ICP site, besides extra work of RCC culverts in no man's land over existing drain. The issue of agitation by villagers not allowing the construction work to proceed was finally settled after the visit of the Home Secretary, Government of India in November, 2012 and the work was recommenced with effect from December 2012.

At the time of close of financial year 2012-13, the physical progress of the project was 65%.

(f) ICP Dawki : ICP Dawki is to be developed at a distance of 84 kms from Shillong in District West Jaintia Hills in the South-East of the State of Meghalaya on the India-Bangladesh border. It is connected by NH 40 and NH 44. Tamabil is the corresponding place in Bangladesh. For ICP Dawki, land measuring 2.96 hectares has been acquired. M/s RITES who have been appointed as Project Consultant intimated requirement of additional land for maintaining sanitization of the ICP. The matter of acquisition of additional land has been taken up with the State Authorities. ICP Dawki will be one of the most



आई.सी.पी. दावकी, उत्तर-पूर्व क्षेत्र की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण आई.सी.पी. होगी क्योंकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 40 पर स्थित है जो पूर्व का स्कॉटलैण्ड कहे जाने वाले नगर शिलांग को जाने वाली सभी-मौसम-अनुकूल सड़क से जुड़ा हुआ है। बंगलादेश से आने वाले पर्यटकों के लिए दावकी एक सुविधाजनक स्थान है। बांग्लादेश से काफी पर्यटक शिलांग तथा आसपास के स्थानों पर आते हैं। यह पर्यटन की दृष्टि से रुचिकर स्थान है।

ढ. नई परियोजनाएँ अथवा विस्तार योजनाएँ

वर्ष के दौरान कोई नई परियोजना अथवा विस्तार योजना स्वीकृत नहीं की गई। तथापि चरण-2 के अन्तर्गत कवर की गई आई.सी.पी. के लिए भूमि की पहचान / अधिग्रहण की प्रक्रिया को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया गया। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में चंगराबन्धा तथा मिजोरम में क्वारपच्छई में भूमि चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा था।

ण. भविष्य के प्रस्ताव

1. परिचालन आरम्भ करने के लिए एकीकृत चेक पोस्ट अटारी का उदघाटन तथा राजस्व भागीधारी के आधार पर चलाने हेतु अभिरक्षक की नियुक्ति इस वर्ष की प्रमुख गतिविधिया थी।

2. रेल, परिवहन का सस्ता साधन है। भारत-पाकिस्तान सीमा पर अटारी सड़क तथा रेल दोनों से जुड़ा हुआ है। फिलहाल आई.सी.पी. अटारी में यात्रियों तथा सामान के लिए केवल सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। अतः भारत-पाकिस्तान मध्य कार्गो / कंटेनरों एवं यात्रियों के आने-जाने के लिए आई.सी.पी. अटारी को रेल से एक कुशल कम लागत वाली एवं प्रभावकारी परिवहन सुविधा प्राप्त हो सकती है। आई.सी.पी. अटारी में रेल संचालन से सीमा शुल्क, आप्रवास, सुरक्षा, कार्गो हैंडलिंग तथा सरकारी एवं निजी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा क्योंकि रेल कार्गो का दो स्थानों अर्थात् सीमा पर एवं अमृतसर रेलवे स्टेशन पर रख-रखाव किया जाता है। अतः एक सर्वेक्षण कर आई.सी.पी. से लगती हुई रेलवे स्टेशन अटारी तक की 500 एकड़ भूमि के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। अनुमान है कि इससे विश्व स्तर की सुविधाएँ उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। इस संबंध में पंजाब की राज्य सरकार से आई.सी.पी. के विस्तार के लिए भूमि चिन्हित करने का अनुरोध किया गया है ताकि वहाँ पर सड़क एवं रेल से जुड़ी सुविधा विकसित की जा सके।

3. एल.पी.आई. वर्ष 2013-14 के दौरान विकसित की जा रही / चालू आई.सी.पी. परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करेगी।

4. वर्ष 2013-14 में एक और आई सी पी को परिचालित करने को प्रयास किया जायेगा।

important ICP of the North Eastern Region. It will be on NH 40 (erstwhile Shillong-Sylhet road) as it is connected by an all weather road to Shillong 'the Scotland of the East'. Dawki is at a vantage point for the tourists of Bangladesh who regularly come to India for visiting Shillong and its neighboring places which are of tourist's interests.

N. NEW PROJECTS OR EXPANSION SCHEMES

No new projects or expansion schemes were sanctioned during the year. However the process of land identification/acquisition of land was actively pursued in case of ICPs covered in Phase-II. Further, the selection of land was under process for finalization in the cases of Changrabandha in West Bengal and Kawarpuchhiah in Mizoram.

O. AN ACCOUNT OF ACTIVITIES DURING THE FINANCIAL YEAR AND LIKELY TO BE TAKEN UP DURING NEXT FINANCIAL YEAR

1. Inauguration, commissioning and operationalization of ICP-Attari and appointment of Custodian to manage the trade related activities on revenue sharing basis were the principal activities this year.

2. Railways is one of the cheapest mode of transport. Attari on India-Pakistan border provides connectivity with Pakistan both by road and rail. ICP Attari caters to the movement of both passengers and cargo only by road. Thus expansion of ICP Attari by adding Rail-linked facility for the movement of cargo/containers for import and exports and passenger's movement between India-Pakistan is not only essential but integral for multi modal, efficient and cost effective transport. Handling of Rail movement at ICP Attari will also synergise the effort of Customs, Immigration, Security, Cargo handling and other State and private service agencies because the rail cargo is handled at two places that is at the border and at the Amritsar Railway Station. An assessment has been made and approximately 500 acres of land contiguous to the ICP and extending up to the Railway Station at Attari has been projected. This will enable to set-up an extended state of the world-class facilities which could address the future requirements also. State Government of Punjab, in this regard has been requested to identify the land for expansion of ICP to develop road cum rail linked facility.

3. The LPAI envisages to vigorously pursue completion of developing/ongoing ICP Projects during 2013-14.

4. LPAI will make efforts to operationalise at least one more ICP in 2013-14.



भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

त. अधिकारी / कर्मचारी

अध्यक्ष एवं एक सदस्य को छोड़कर प्राधिकरण में कोई नियमित अधिकारी / कर्मचारी की तैनाती नहीं की गई। एक अन्य सदस्य अतिरिक्त कार्यभार पर कार्य कर रहे थे। अतः रिपोर्ट वर्ष में प्राधिकरण के दिन-प्रतिदिन कार्य के लिए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी सलाहकार के रूप में लगाए गए।

थ. कर्मचारी संबंध

अध्यक्ष एवं सदस्यों को छोड़कर कोई कर्मचारी एल.पी.ए.आई. के लिए आबंटित / तैनात नहीं किया गया। भविष्य में इसके विशाल एवं चुनोतीपूर्ण कार्य को देखते हुए सलाहकारों की सेवाएँ लेना जारी रखा गया। एकीकृत चैक पोस्ट अटारी का दिन-प्रतिदिन का प्रबंधन, वहाँ तैनात सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों द्वारा जारी रखा गया। सभी एकीकृत चैक पोस्टों के समस्त हितधारकों के बीच अधिकतम समन्वय स्थापित किया गया तथा सहयोग प्रदान किया गया। वर्ष के दौरान हितधारकों के साथ प्राधिकरण के संबंध सौहार्दपूर्ण रहे।

द. कल्याण गतिविधियाँ

नियमानुसार सभी कर्मचारियों के लिए बिना किसी भेदभाव कल्याण उपाय किए गए। इसके अतिरिक्त एल.पी.ए.आई. के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों उनकी पात्रता के अनुसार आवास, स्वास्थ्य आदि की सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई।

य. स. शहरावत

(वाई. एस. शहरावत)
अध्यक्ष

9 सितम्बर, 2015
नई दिल्ली

P. OFFICERS / EMPLOYEES

No regular officer/employee was posted in the Authority except for the Chairman and one member. The other member was on additional charge basis. Consequently, to get the works started and continued, retired Government officials were engaged as consultants for day to day working in the Authority during the year under report.

Q. STAFF RELATIONS

No staff apart from Chairman and Members was allocated / posted to LPAI. With daunting task ahead and numerous challenges the work was carried out with the help of consultants. The day to day management of ICP Attari was carried out through the BSF posted at ICP Attari. Maximum coordination and utmost cooperation was extended to all the stakeholders located at the ICPs. The relations with stakeholders and others including employees remained cordial during the year.

R. WELFARE ACTIVITIES

The welfare measures provided in the rules were extended without discrimination to all staff. Further, housing, education, health facilities etc. to the officers and employees of LPAI provided as per their entitlement.

Y.S. Shahrawat

(Y.S. Shahrawat)
Chairman

09 September 2015
New Delhi



तुलन पत्र; आय तथा व्यय लेखे
एवं तुलन पत्र के अंग के रूप में अनुसूचियां
**BALANCE SHEET; INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
AND SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
2012 -13**

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण
LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA



भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

31.03.2013 को तुलन पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

(₹)

कोष/पूंजी निधि एवं देयताएँ CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES 1	अनुसूची Schedule 2	इस वर्ष Current Year 3	गत वर्ष Previous Year 4
कोष/पूंजी निधि एवं देयताएँ CORPUS/CAPITAL FUND	1		
आरक्षण एवं अतिशेष RESERVES AND SURPLUS	2	4,923,545,819	4,095,450,884
चिह्नित/अक्षय निधियाँ EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	3		
प्रत्याभूत ऋण एवं उधार राशियाँ SECURED LOANS AND BORROWINGS	4		
अप्रत्याभूत ऋण एवं उधार राशियाँ UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5		
आस्थगित ऋण देयताएँ DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6		
चालू देयताएँ एवं प्रावधान CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	132,391,383	75,386,164
कुल TOTAL		5,055,937,202	4,170,837,048
परिसम्पतियाँ ASSETS			
स्थायी परिसम्पतियाँ FIXED ASSETS	8	4,055,027,903	3,395,579,092
निवेश-चिह्नित/अक्षय निधियों से INVESTMENTS-FROM EARMARKED/ अक्षय निधियाँ ENDOWMENT FUNDS	9		
निवेश-अन्य INVESTMENTS-OTHERS	10		
चालू परिसम्पतियाँ : ऋण, अग्रिम आदि CURRENT ASSETS; LOANS, ADVANCES ETC.	11	1,000,909,299	775,257,956
विविध व्यय MISCELLANEOUS EXPENDITURE			
(बट्टे खाते डालने अथवा समायोजित करने की सीमा तक नहीं) (to the extent not written off or adjusted)			
कुल TOTAL		5,055,937,202	4,170,837,048
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
आकस्मिक देयताएँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

लेखा-बहियों से संकलित
Compiled from the books of account
कृते संदीप रामनिवास गुप्ता एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट
For **SANDEEP RAMNIWAS GUPTA & CO.**
Chartered Accountants,

संदीप गुप्ता, एफ. सी. ए.
(पार्टनर) एम. नं. 075269
SANDEEP GUPTA, F.C.A.
(Partner) M NO.075269
एफ. आर. एन.
FRN. 006406C

दिनांक
Dated: 09.09.2015

स्थान नई दिल्ली
Place: New Delhi

(अनिल कुमार बाम्बा)
सदस्य (पी एण्ड डी)
(Anil Kumar Bamba)
Member- (P&D)

(वाई. एस. शहरावत)
अध्यक्ष
(Y.S. Shahrawat)
Chairman



31.3.2013 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31.03.2013

(₹)

आय (A) INCOME 1	अनुसूची Schedule 2	इस वर्ष Current Year 3	गत वर्ष Previous Year 4
बिक्री/सेवा से आय Income from sales/Service	12		
अनुदान/सब्सिडी Grants/Subsidies	13	28,675,000	
शुल्क/अभिदान Fees/Subscriptions	14	22,788,088	
निवेश से हुई आय (विधियों में हस्तांतरित करने से चिह्नित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय) Income from Investments (Income on Investment From earmarked/endowment Funds transferred to funds)	15		
रॉयल्टी/प्रकाशन आदि से आय Income from Royalty, Publication etc.	16		
अर्जित ब्याज Interest Earned	17	5,305,241	
अन्य Other Income	18		
स्टॉक में तैयार माल एवं प्रगति पर कार्यों में वृद्धि (कमी) Increase/(decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress	19		
कुल (क) TOTAL (A)		56,768,329	
व्यय (ख) (B) EXPENDITURE			
स्थापना व्यय Establishment Expenses	20	4,258,000	
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि Other Administrative Expenses etc.	21	28,038,140	
अनुदानों पर व्यय, सब्सिडी आदि Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22		
ब्याज Interest	23		
मूल्यहास (अनुसूची 8 के समकक्ष वर्ष के अंत में कुल) Depreciation (Net Total at the year-end corresponding to Schedule 8)		31,552,904	
कुल (ख) TOTAL (B)		63,849,044	
व्यय से अधिक आय का शेष Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		(7,080,715)	
विशेष आरक्षण में हस्तांतरित (सामान्य आरक्षण में/से प्रत्येक हस्तांतरण को विनिर्दिष्ट करें) Transfer to Special Reserve (Specify each) Transfer to/ from General Reserve.			
शेषअधिशेष / (घाटा) जिसे कोष / पूंजी में अग्रणीत BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		(7,080,715)	
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
आकस्मिक देयताएँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

लेखा-बहियों से संकलित

Compiled from the books of account

कृते संदीप रामनिवास गुप्ता एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट

For **SANDEEP RAMNIWAS GUPTA & CO.**

Chartered Accountants,

संदीप गुप्ता, एफ. सी. ए.

(पार्टनर) एम. नं. 075269

SANDEEP GUPTA, F.C.A.

(Partner) M NO.075269

एफ. आर. एन.

FRN. 006406C

दिनांक

Dated: 09.09.2015

स्थान नई दिल्ली

Place: New Delhi

(अनिल कुमार बाम्बा)

सदस्य (पी एण्ड डी)

(Anil Kumar Bamba)

Member- (P&D)

(वाई. एस. शहरावत)

अध्यक्ष

(Y.S. Shahrawat)

Chairman



भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

31.03.2013 को तुलन पत्र के अंग के रूप में अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

(₹)

अनुसूची – 1 SCHEDULE 1	इस वर्ष Current Year		गत वर्ष Previous Year	
कोष/पूंजी निधि CORPUS /CAPITAL FUND: वर्ष के प्रारम्भ में शेष Balance as at the beginning of the year जोड़ा: कोष; पूंजी निधियों में योगदान Add: Contributions towards Corpus Capital Funds घटाया: पूंजी निधियों से हस्तांतरित (Deduct): Transfer from capital funds जोड़ (घटाया): आय एवं व्यय लेखा से हस्तांतरित विल आय/(व्यय) का शेष Add/(Deduct): Balance of net income/ (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account				
वर्ष के अंत में शेष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
BALANCE AS AT THE YEAR END	NIL	NIL	NIL	NIL

(₹)

अनुसूची – 2 SCHEDULE 2	इस वर्ष Current Year		गत वर्ष Previous Year	
आरक्षित एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS: 1. पूंजी आरक्षण Capital Reserve: पिछले लेखा के अनुसार As per last Account वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year घटाया: वर्ष के दौरान कटौतियाँ Less: Deductions during the year (i) आय से अधिक व्यय Excess of expenditure over income 7,080,715 (ii) सरकार को प्रेषण Remittance to the Government 10,000,000	4,095,450,884 845,175,650 17,080,715	4,923,545,819	4,095,450,884	



(₹)

अनुसूची – 2 SCHEDULE 2	इस वर्ष Current Year		गत वर्ष Previous Year	
<p>(2) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित Revaluation Reserve: पिछले लेखा के अनुसार As per last Account वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year घटाया: वर्ष के दौरान कटौतियाँ Less: Deductions during the year</p>				
<p>(3) विशेष आरक्षित Special Reserve: पिछले लेखा के अनुसार As per last Account वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year घटाया: वर्ष के दौरान कटौतियाँ Less: Deductions during the year</p>				
<p>(4) सामान्य आरक्षित General Reserve : पिछले लेखा के अनुसार As per last Account वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year घटाया: वर्ष के दौरान कटौतियाँ Less: Deductions during the year</p>				
कुल TOTAL		4,923,545,819		4,095,450,884



भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

(₹)

अनुसूची – 3 SCHEDULE 3	निधि XX Fund XX	निधि YY Fund YY	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
चिह्नित/अक्षय निधियाँ EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS				
(क) निधियों का अथशेष Opening balance of the funds				
(ख) निधियों में वृद्धि Additions to the Funds:				
(1) दान/अनुदान Donations/Grants				
(2) निधियों में किए गए निवेश से आय Income from Investments made on account of funds				
(3) अन्य वृद्धि (विनिर्दिष्ट करें) Other additions (specify nature)				
TOTAL (a+b) कुल (क + ख)				
(ग) उपयोग निधियों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यय Utilisation/ Expenditure towards objectives of funds				
(1) पूंजी व्यय Capital Expenditure				
स्थायी परिसम्पत्ति Fixed assets				
अन्य Others				
कुल Total:				
(2) राजस्व व्यय Revenue Expenditure				
वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि Salaries, Wages and Allowances etc.				
किराया Rent				
अन्य प्रशासनिक व्यय Other administrative Expenses				
कुल Total:				
Total (C) कुल (ग)				
वर्ष के अंत में निवल शेष (क + ख + ग)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b-c)	NIL	NIL	NIL	NIL

टिप्पणियाँ

- अनुदानों के साथ संलग्न शर्तों के आधार पर प्रकटन संबंधित शीर्षों के अन्तर्गत किए जाएंगे।
- केन्द्र/राज्य सरकारों से प्राप्त योजनागत निधियों को अलग निधियों के रूप में दिखाया जाएगा तथा किसी अन्य निधि के साथ नहीं मिलाया जाएगा।

Notes-

- Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.
- Plan Funds received from the Central/ State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds.



(₹)

अनुसूची - 4 SCHEDULE 4	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
प्रत्याभूत ऋण एवं उधार राशियाँ SECURED LOANS AND BORROWINGS: 1. केन्द्र सरकार Central Government 2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें) State Government (Specify) 3. वित्त संस्थाएँ Financial Institutions (क) सावधिक ऋण (a) Term Loans (ख) प्रोदभूत एवं देय ब्याज (b) Interest accrued and due 4. बैंक Banks: सावधिक ऋण प्रोदभूत एवं देय ब्याज Term Loans Interest accrued and due अन्य (विनिर्दिष्ट करें) प्रोदभूत एवं देय ब्याज Other Loans (Specify) Interest accrued and due 5. अन्य संस्थाएँ एवं एजेंसियाँ Other Institutions and Agencies 6. डिबेंचर एवं बॉण्ड Debentures and Bonds 7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) others (Specify)		
कुल TOTAL	शून्य NIL	शून्य NIL
टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशियाँ Note: Amounts due within one year		

(₹)

अनुसूची - 5 SCHEDULE 5	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
प्रत्याभूत ऋण एवं उधार राशियाँ UNSECURED LOANS BORROWINGS 1. केन्द्र सरकार Central Government 2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें) State Government (Specify) 3. वित्त संस्थाएँ Financial Institutions 4. बैंक Banks (क) सावधिक ऋण Term Loans (ख) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Other Loans (Specify) 5. अन्य संस्थाएँ एवं एजेंसियाँ Other Institutions and Agencies 6. डिबेंचर एवं बाण्ड Debenture and Bonds 7. सावधि जमा Fixed Deposits 8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Others (Specify)		
कुल TOTAL	शून्य NIL	शून्य NIL
टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशियाँ Note: Amount due within one year		



भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

(₹)

अनुसूची - 6 SCHEDULE 6	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
<p>आस्थगित ऋण देयताएँ DEFERRED CREDIT LIABILITIES पूँजी उपकरण तथा अन्य परिसंपत्तियों को बंधक रखने से प्राप्त स्वीकृतियों Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assests अन्य Other</p>		
कुल TOTAL	शून्य NIL	शून्य NIL
टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशियाँ Note: Amounts due within one year		

(₹)

अनुसूची - 7 SCHEDULE 7	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
<p>चालू देयताएँ एवं प्रावधान CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS क. चालू देयताएँ CURRENT LIABILITIES 1. स्वीकृतियों Acceptances 2. सकल लेनदार Sundry Creditors (क) वस्तुओं के लिए For Goods (ख) अन्य Others 3. प्राप्त अग्रिम Advances Received 4. प्रोदभूत ब्याज लेकिन देय नहीं : Interest accrued but not due on: (क) प्रत्याभूत ऋण/उधार राशियाँ Secured Loans/borrowings (ख) अप्रत्याभूत ऋण/उधार राशियाँ Unsecured Loans/ borrowings 5. सांविधिक देयताएँ Statutory Liabilities: (क) अतिशेष Overdue (ख) अन्य Others 6. अन्य चालू देयताएँ Other current Liabilities</p>		
कुल (क) TOTAL (A)	132,391,383	75,386,164
ख. प्रावधान B. PROVISIONS 1. कराधान के लिए For Taxation 2. ग्रेच्युटी Gratuity 3. अधिवर्षिता/पेंशन Superannuation/ Pension 4. संचित छुट्टी नकदीकरण Accumulated Leave Encashment 5. व्यापार वारंटी/दावे Trade Warranties/ Claims 6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Others (Specify)		
कुल (ख) TOTAL (B) कुल (क + ख) TOTAL (A+B)	132,391,383	75,386,164



(र)

अनुसूची-8 SCHEDULE 8	सकल ब्लॉक GROSS BLOCK					मूल्यहास DEPRECIATION				निवल ब्लॉक NET BLOCK	
	विवरण Description	मूल्यहास की दर Rate of Depreciation *	वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन Cost/Valuation as at beginning of the year	वर्ष के दौरान कटौतियों Deductions during the year	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांक Cost/ Valuation the year end	वर्ष के प्रारंभ में As at the beginning of the year	वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	वर्ष के दौरान कटौतियों Deductions during the year	वर्ष के अंत में कुल Total up to the year end	इस वर्ष Current year	गत वर्ष Previous Year
क. स्थाई परिसम्पत्ति Fixed Assets											
1. भूमि Land											
(क) स्वामित्व Freehold											
(ख) पट्टे पर Lease Hold			1,423,400,048		1,423,400,048					1,423,400,048	1,423,400,048
2. भवन Building :											
(क) स्वामित्व वाली भूमि पर On Freehold Land		1.58%									
(ख) पट्टे पर ली गई भूमि पर On Lease Hold Land				948,756,815	948,756,815		14,497,524		14,497,524	934,259,291	
(ग) मालिकाना प्लॉट/परिसर Ownership/Plots/Premises											
(घ) संस्था से इतर भूमि पर अवसरचना Superstructures on Land not belonging to the entity											
3. संयंत्र मशीनरी एवं उपकरण Plant Machinery & Equipment		6.33%		15,439,232	15,439,232		945,173		945,173	14,494,059	
4. वाहन Vehicles											
5. फर्नीचर, फिक्स्चर Furniture, Fixture		9.50%		2,473,380	2,473,380		644		644	2,472,736	
6. अन्य उपकरण Office Equipment				20,371,387	20,371,387		1,247,114		1,247,114	19,124,273	
7. कम्प्यूटर/अन्य सहायक सामग्री/सी.सी.टी.वी. Computer/Peripherals/CCTV											
8. विद्युत संस्थापन Electric Installation		9.50%		161,765,133	161,765,133		14,862,449		14,862,449	146,902,684	
9. पुस्तकें Library Books											
10. नलकूप एवं जल आपूर्ति Tubewells & W. Supply											
11. अन्य स्थाई परिसम्पत्ति Other Fixed Assets											
कुल Total			1,423,400,048	1,148,805,947	2,572,205,995		31,552,904		31,552,904	2,540,653,091	1,423,400,048
पूँजी कार्य प्राप्ति पर Capital Work - in Progress			1,972,179,044	717,152,154	1,514,374,812					1,514,374,812	1,972,179,044
इस वर्ष का कुल Current Year			3,395,579,092	1,865,958,101	4,086,537,193		31,552,904		31,552,904	4,055,027,903	3,395,597,092
सीधी रेखा पद्धति * Straight Line Method											



भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

(₹)

अनुसूची – 9 SCHEDULE 9	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
चिन्हित/अक्षय निधियों से निवेश INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS 1. सरकारी प्रतिभूतियों में In Government Securities 2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities 3. शेयर Shares 4. डिबेंचर तथा बॉण्ड Debentures and Bonds 5. सहायक कंपनियाँ एवं संयुक्त उद्यम Subsidiaries and Joint Ventures 6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Others (to be specified)		
कुल TOTAL	शून्य NIL	शून्य NIL

(₹)

अनुसूची – 10 SCHEDULE 10	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
निवेश-अन्य INVESTMENTS-OTHERS 1. सरकारी प्रतिभूतियों में In Government Securities 2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other approved Securities 3. शेयर Shares 4. डिबेंचर तथा बॉण्ड Debentures and Bonds 5. सहायक कंपनियाँ एवं संयुक्त उद्यम Subsidiaries and Joint Ventures 6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Others (to be specified)		
कुल TOTAL	शून्य NIL	शून्य NIL



(₹)

अनुसूची — 11 SCHEDULE 11	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
<p>चालू परिसम्पतियों, ऋण, अग्रिम इत्यादि CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.</p> <p>क. चालू परिसम्पतियाँ CURRENT ASSETS</p> <p>1. वस्तु सूची Inventories</p> <p>(क) स्टोर्स एवं स्पेयर्स Stores and Spares</p> <p>(ख) खुले औजार Loose Tools</p> <p>(ग) स्टॉक-इनट्रेड Stock-in-trade</p> <p>तैयार माल Finished Goods</p> <p>प्रगति पर Work-in-progress</p> <p>कच्चा माल Raw Materials</p> <p>2. सकल देनदार Sundry Debtors:</p> <p>(क) छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण Debts Outstanding for a period exceeding six months</p> <p>(ख) अन्य Others</p> <p>3. हस्तगत नकदी (चैकों/ड्राफ्टों/एवं इम्प्रेस्ट सहित) Cash balance in hand (including cheques/ drafts and imprest)</p> <p>4. बैंक शेष Bank Balances:</p> <p>(क) अधिसूचित बैंकों के पास With Scheduled Banks:</p> <p>चालू खातों में -On Current Accounts</p> <p>जमा खातों में (मार्जिन मनी शामिल है) -On Deposit Accounts (includes margin money)</p> <p>(ख) गैर अधिसूचित बैंकों के पास With non-Scheduled Banks:</p> <p>चालू खातों में -On Current Accounts</p> <p>जमा खातों में -On Deposit Accounts</p> <p>बचत खातों में -On Saving Accounts</p> <p>5. डाक बचत खाते Post Office- Saving Accounts</p>		
कुल (क) Total (A)	शून्य NIL	शून्य NIL



भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

(₹)

अनुसूची — 11 SCHEDULE 11	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
<p>चालू परिसम्पतियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि (जारी) CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Cond.)</p> <p>ख. ऋण, अग्रिम एवं परिसम्पतियाँ LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSESTS</p> <p>1. ऋण Loans:</p> <p>(क) कर्मचारियों को Staff</p> <p>(ख) समान गतिविधियों/उद्देश्यों में संलग्न अन्य संस्थाएँ Other Entities engaged in activities/ objectives similar to that of the Entity</p> <p>(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Others (specify)</p> <p>2. प्राप्त किए जाने वाले मूल्य नकदी अथवा वस्तु में प्राप्त योग्य अग्रिम एवं अन्य राशियाँ Advances and other amounts, recoverable in cash or in kind or for value to be received:</p> <p>(क) पूंजी लेखे में On Capital Account</p> <p>(ख) पूर्वभुगतान Prepayments</p> <p>(ग) अन्य Others</p> <p>3. अर्जित आय Income Accrued;</p> <p>(क) चिन्हित/अक्षय निधियों से निवेश पर On Investments from Earmarked/Endowment Funds</p> <p>(ख) निवेश पर — अन्य On Investments - Others</p> <p>(ग) ऋणों पर तथा अग्रिमों पर (बैंक खाता) On Loans and Advances (Bank Account)</p> <p>(घ) अन्य Others</p> <p>4. प्राप्त योग्य दावे Claims Receivable:</p>	<p>994,215,731</p> <p>2,460,567</p> <p>4,233,001</p>	<p>775,257,956</p>
कुल (ख) Total (B)	1,000,909,299	775,257,956
कुल (क+ख) Total (A+B)	1,000,909,299	775,257,956



(₹)

अनुसूची – 12 SCHEDULE 12	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
बिक्री/सेवाओं से आय INCOME FROM SALE/SERVICES (1) बिक्री से आय Income from Sales (क) तैयार माल की बिक्री Sale of Finished Goods (ख) कच्चे माल की बिक्री Sale of Raw Material (ग) कबाड़ की बिक्री Sale of Scraps (2) सेवाओं से आय Income from Services (क) श्रमिक तथा प्रसंस्करण शुल्क Labour and Processing Charges (ख) व्यवसायिक/कंसलटेंसी सेवाएँ Professional / Consultancy Services (ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली Agency Commission and Brokerage (घ) रख-रखाब सेवाएँ/उपकरण/परिसम्पत्ति Maintenance Services (Equipment/Property) (ङ) अन्य Others		
कुल	शून्य	शून्य
TOTAL	NIL	NIL

(₹)

अनुसूची – 13 SCHEDULE 13	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं सब्सिडी GRANTS/SUBSIDIES (Irrevocable Grants & Subsidies Received) (1) केंद्रीय सरकार Central Government (2) राज्य सरकार (रें) State Government(s) (3) सरकारी एजेंसियों Government Agencies (4) संस्थाएँ/कल्याण निकाएँ Institutions/ Welfare Bodies (5) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन International Organisations (6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Others (Specify)	28,675,000	
कुल Total	28,675,000	

(₹)

अनुसूची – 14 SCHEDULE 14	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
शुल्क/सदस्यता शुल्क FEES/ SUBSCRIPTIONS (1) प्रवेश शुल्क Entrance Fees (2) वार्षिक शुल्क/सदस्यता शुल्क Annual Fees/ Subscriptions (3) सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क Seminar / Program Fees (4) कंसलटेंसी शुल्क Consultancy Fees (5) अन्य (किराया एवं अन्य) Others (Rental & others)	22,788,088	
कुल Total	22,788,088	

टिप्पणी:- प्रत्येक मद के लिए लेखाकरण नीतियाँ प्रकट की जाएंगी
 Note- Accounting Policies towards each item are to be disclosed.



भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

(र)

अनुसूची 15 SCHEDULE 15	चिन्हित निधि से निवेश Investment From Earmarked Fund		निवेश अन्य Investment-Others	
	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
निवेश से हुई आय INCOME FROM INVESTMENTS (निधियों में हस्तांतरित चिन्हित/अक्षय निधियों से विवेश पर आय) (Income on Investment from Earmarked/ Endowment Funds transferred to Funds) (1) ब्याज Interest (क) सरकारी प्रतिभूतियों पर On Government Securities (ख) अन्य बॉण्ड/डिबेंचर Other Bonds/Debentures (2) लाभांश Dividends (क) शेयरों पर On Shares (ख) म्यूचल फंड प्रतिभूतियों पर On Mutual Funds Securities (3) किराया Rents (4) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Others (Specify)				
कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
TOTAL	NIL	NIL	NIL	NIL

(र)

अनुसूची - 16	इस वर्ष	गत वर्ष
SCHEDULE 16	Current Year	Previous Year
रॉयल्टी प्रकाशन से आय INCOME FROM ROYALTY PUBLICATION (1) रॉयल्टी से आय Income from Royalty (2) प्रकाशनों से आय Income From Publications (3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Others (specify)		
कुल	शून्य	शून्य
TOTAL	NIL	NIL



(₹)

अनुसूची – 17 SCHEDULE 17	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
अर्जित ब्याज INTEREST EARNED (1) आवधिक जमा पर On Term Deposits; (क) अधिसूचित बैंकों के पास With Scheduled Banks (ख) गैर अधिसूचित बैंकों के पास With Non-Scheduled Banks (ग) संस्थाओं के पास With Institutions (घ) अन्य (राइट्स) Others (RITES) 2. बचत खातों पर On Savings Accounts: (क) अधिसूचित बैंकों के पास With Scheduled Banks (ख) गैर अधिसूचित बैंकों के पास With Non-Scheduled Banks (ग) डाकखाना बचत खाते Post Office Savings Accounts (घ) अन्य Others 3. ऋणों पर On Loans; (क) कर्मचारी/स्टाफ Employees/Staff (ख) अन्य Others 4. देनदारों एवं अन्य प्राप्त योग्य राशियों पर ब्याज Interest on Debtors and Others Receivables	5,305,241	
कुल TOTAL	5,305,241	
स्रोत पर काटा गया कर सूचित किया जाए Note- Tax deducted at source to be indicated		

(₹)

अनुसूची – 18 SCHEDULE 18	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
अन्य आय OTHER INCOME (1) बिक्री/परिसम्पत्ति की बिक्री Profit on sale/disposal of Assets: क) स्वयं की परिसम्पत्ति की Owned assets ख) अनुदानों अथवा निशुल्क प्राप्त परिसम्पत्तियों Assets acquired out of grants, or received free of cost (2) निर्यात प्रोत्साहनों की वसूली Export Incentives realized (3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क Fees for Miscellaneous Services (4) विविध आय Miscellaneous Income		
कुल TOTAL	शून्य NIL	शून्य NIL



भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

(र)

अनुसूची – 19 SCHEDULE 19	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
<p>तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी एवं कार्य प्रगति पर INCREASE/DECREASE IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS</p> <p>(क) अन्त स्टॉक Closing stock</p> <ul style="list-style-type: none"> - तैयार माल - Finished Goods - कार्य प्रगति पर - Work in Progress <p>(ख) आरम्भिक स्टॉक Less: Opening Stock</p> <ul style="list-style-type: none"> - तैयार माल - Finished Goods - कार्य प्रगति पर - Work in Progress 		
<p>निवल वृद्धि/कमी (क-ख) NET INCREASE/DECREASE (a-b)</p>	शून्य NIL	शून्य NIL

(र)

अनुसूची – 20 SCHEDULE 20	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
<p>स्थापना व्यय ESTABLISHMENT EXPENSES</p> <p>(i) वेतन एवं मजदूरी Salaries and Wages</p> <p>(ii) भत्ते एवं बोनस Allowance and Bonus</p> <p>(iii) भविष्य निधि में योगदान Contribution to Provident Fund</p> <p>(iv) अन्य निधि में योगदान Contribution to Other Fund</p> <p>(v) कर्मचारी कल्याण व्यय Staff Welfare Expenses</p> <p>(vi) कर्मचारी के सेवानिवृत्त पर मिलने वाले लाभों पर व्यय Expenses on Employees' Retirement Terminal Benefits</p> <p>(vii) अन्य Others</p>	4,258,000	
कुल TOTAL	4,258,000	



(₹)

अनुसूची – 21 SCHEDULE 21	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.		
(क) खरीद Purchases		
(ख) श्रमिक एवं प्रसंस्करण व्यय Labour and Processing Expenses		
(ग) दुलाई एवं वाहन व्यय Carriage and Carriage Inwards		
(घ) विद्युत एवं पावर Electricity and Power		
(ङ) जल प्रभार Water Charges		
(च) बीमा Insurance		
(छ) मरम्मत एवं रख-रखाव Repairs and Maintenance		
(ज) उत्पाद शुल्क Excise Duty		
(झ) किराया, दर एवं कर Rent, Rates and Taxes	9,002,000	
(ञ) वाहन चालन एवं रख-रखाव Vehicles Running and Maintenance	3,621,140	
(ट) डाकखर्च, दूरभाष एवं संचार शुल्क Postage, Telephone and Maintenance		
(ठ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी Printing and Stationary		
(ड) यात्रा एवं सवारी व्यय Travelling and Conveyance Expenses	359,000	
(ण) गोष्ठी/कार्यशालाओं पर व्यय Expenses on Seminar/Workshops		
(त) सदस्यता शुल्क व्यय Subscription Expenses		
(थ) शुल्कों पर व्यय Expenses on fees		
(द) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक Auditors Remuneration		
(न) अतिथि सत्कार व्यय Hospitality Expenses	8,000	
(प) व्यवसायिक शुल्क Professional Charges		
(फ) संदिग्ध एवं अशोध्य ऋणों/अग्रिमों के लिए Provision for Bad and Doubtful Debts/ Advances		
(ब) अप्रतिसंहरणीय शेष बट्टे खाते में Irrevocable Balances Written-off		
(भ) पैकिंग शुल्क Packing Charges		
(म) फ्रेट एवं फॉरवर्डिंग व्यय Freight and Forwarding Expenses		
(य) वितरण व्यय Distribution Expenses		
(र) विज्ञापन एवं प्रचार Advertisement and Publicity		
(ल) कार्यलय व्यय Office expenses	15,048,000	
कुल TOTAL	28,038,140	



भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

(₹)

अनुसूची – 22 SCHEDULE 22	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
अनुदानों, सब्सिडी आदि पर व्यय EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC. (क) संस्थानों/संगठनों आदि को दिया गया अनुदान Grants given to Institutions/ Organisations (ख) संस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडी Subsidies given to Institutions/ Organisations		
कुल TOTAL	NIL	NIL
टिप्पणी: संस्थाओं का नाम, उनकी गतिविधियाँ तथा अनुदान/सब्सिडी को प्रकट किया जाएगा Note- Name of the Entities, their activities along with the amount of Grants/ Subsidies are to be disclosed.		

(₹)

अनुसूची – 23 SCHEDULE 23	इस वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
ब्याज INTEREST (क) सावधि ऋणों पर On Fixed Loans (ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित) On Other Loans (including Bank Charges) (ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) Others (specify)		
कुल TOTAL	शून्य NIL	शून्य NIL



अनुसूची-24

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1. लेखाकरण परम्परा

जब तक अन्यथा नहीं कहा गया है वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा एवं लेखाकरण की प्रोद्भावना विधि पर तैयार किए गए हैं।

2. स्थायी परि सम्पत्ति

2.1 स्थायी परि सम्पत्तियों को अधिग्रहण की लागत के आधार पर दिखाया गया है जिसमें आवकमाल भाड़ा, शुल्क तथा कर एवं अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं। निर्माण से संबंधित परियोजनाओं में परिचालन पूर्व (निर्माण कार्य पूरा होने से पूर्व विशिष्ट परियोजना के लिए ऋणों पर ब्याज शामिल है) पूंजीकृत परिसम्पत्ति के मूल्य का भाग हैं।

2.2 स्थायीपरि सम्पत्ति जो गैर मौद्रिक अनुदान (कोष के अलावा) से प्राप्त हुई है; उन्हें पूंजी आरक्षित निधि में क्रेडिट करते हुए बताए गए मूल्य पर पूंजीकृत किया गया है।

3. मूल्यहास

- 3.1 मूल्यहास का सीधी रेखा पद्धति पर कम्पनी अधिनियम, 2013 में दी गई दरों के अनुसार प्रावधान किया गया है तथा संबंधित परिसम्पत्ति की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया गया है।
- 3.2 जहाँ तक वर्ष के दौरान स्थायी परि सम्पत्तियों में वृद्धि/कटौती का संबंध है, मूल्यहास यथानुपात आधार पर प्रभारित किया गया है।
- 3.3 ₹ 5,000 /- लागत वाली परिसम्पत्ति के लिए पूरा प्रावधान किया गया है।

4. सरकारी अनुदान/सब्सिडी

- 4.1 परियोजनाओं को स्थापित करने की पूंजी लागत में योगदान के रूप में प्राप्त सरकारी अनुदानों को पूंजी आरक्षित निधि के रूप में माना गया है।
- 4.2 सरकारी अनुदान/सब्सिडी को वसूली आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

5. पट्टा

पट्टा किराया को पट्टे की शर्तों के संदर्भ में व्यय के रूप में दिखाया गया है।

SCHEDULE 24

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES :

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. FIXED ASSETS

- 2.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specifies project prior to its completion), form part of the value of the assets capitalized.
- 2.2 Fixed Assets received by way of non-monetary grants, (others than towards the corpus funds), are capitalized at values stated, by corresponding credit to Capital Reserve.

3. DEPRECIATION

- 3.1 Depreciation is provided on straight-line method as per rates specified in the Companies Act, 2013 which is amortized over the residual life of the respective assets.
- 3.2 In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on pro-rata basis.
- 3.3 Assets costing ₹ 5,000 or less each are fully provided.

4. GOVERNMENT GRANTS/ SUBSIDIES

- 4.1 Government grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects are treated as Capital Reserve.
- 4.2 Government grants/ subsidy are accounted on realization basis.

5. LEASE

Lease rentals are expensed with reference to lease terms.



भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

अनुसूची-25

आकस्मिक देयताएँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएँ	(लाख ₹ में)
1.1 प्राधिकरण के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया।	शून्य
1.2 संस्था द्वारा/की ओर दी गई बैंक गारंटी।	शून्य
1.3 संस्था के बैंकों के साथ बिलों के आधार पर बैंक द्वारा खोले गए ऋणपत्र।	शून्य
1.4 दिए आदेशों के क्रियान्वित न होने के लिए पार्टियां से प्राप्त दावे जिनके लिए संस्था ने विवाद उठाया है।	शून्य
2. पूंजी प्रति बद्धताएँ	
पूंजी लेखा पर क्रियान्वित किए जाने वाले ठेकें का अनुमानित मूल्य जिनका प्रावधान नहीं किया गया (अग्रिमों का कुल मूल्य)	26485
3. चालू परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम	
प्रबंधन की राय में चालू परिसम्पत्तियों, ऋण तथा अग्रिम का सामान्य कारोबार में वसूली मूल्य कम से कम तुलन पत्र में दिखाए गए मूल्य के समान है।	
4. कराधान	
आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर योग्य आय न होने को देखते हुए आयकर के लिए प्रावधान करने पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया।	

SCHEDULE 25

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES	(₹ in lakh)
1.1 Claims against the Authority not acknowledged as debts	NIL
1.2 In respect of Bank guarantees given by/ on behalf of the Entity	NIL
1.3 Letters of Credit opened by bank on behalf of the Entity	NIL
1.4 In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entity	NIL
2. CAPITAL COMMITMENTS	26485
Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances)	
3. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES	
In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.	
4. TAXATION	
In view of there being no taxable income under Income-tax Act, 1961, no provision for Income-tax has been considered necessary.	

लेखा-बहियों से संकलित

Compiled from the books of account

कृते संदीप रामनिवास गुप्ता एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट

For **SANDEEP RAMNIWAS GUPTA & CO.**

Chartered Accountants,

संदीप गुप्ता, एफ. सी. ए.

(पार्टनर) एम. नं. 075269

SANDEEP GUPTA, F.C.A.

(Partner) M NO.075269

एफ. आर. एन.

FRN. 006406C

दिनांक

Dated: 09.09.2015

स्थान नई दिल्ली

Place: New Delhi

(अनिल कुमार बाम्बा)

सदस्य (पी एण्ड डी)

(Anil Kumar Bamba)

Member- (P&D)

(वाई. एस. शहरावत)

अध्यक्ष

(Y.S. Shahrawat)

Chairman



31.03.2013 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान
RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD/YEAR ENDED ON 31.03.2013

(₹)

प्राप्तियाँ RECEIPTS	इस वर्ष CURRENT YEAR	गत वर्ष PREVIOUS YEAR	भुगतान PAYEMENTS	इस वर्ष CURRENT YEAR	गत वर्ष PREVIOUS YEAR
I. अथशेष Opening Balances (क) हस्तगत नकदी Cash in hand (ख) बैंक शेष Bank Balances (i) चालू खाते In current accounts (ii) जमा खाते In deposit accounts (iii) बचत खाते Saving Accounts II. प्राप्त अनुदान Grants Received (क) भारत सरकार से From Government of India (ख) राज्य सरकार से From State Government (ग) अन्य स्रोत से (विवरण) (पूँजी अनुदान एवं राजस्व व्यय अलग-अलग दिखाए जाएँ) From other source (details)(Grants for capital & revenue exp. to be shown separately) III. निवेश से हुई आय Income on Investment from (क) चिन्हित/अक्षय निधियाँ Earmarked/Endow. Funds (ख) स्वयं की निधियाँ (अन्य निवेश) Own Funds(other Investments) IV. प्राप्त ब्याज Interest Receivied (क) बैंक जमा पर On Bank deposit			I. व्यय Expenses (क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के समकक्ष) Establishment Expenses (cooresponding to Schedule 20) (ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 के समकक्ष) Administrative Expenses (corresponding to Schedule 21) II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधिओं के विरुद्ध किया गया भुगतान (निधि का नाम अथवा प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान सहित परियोजना का नाम Payments made, against funds for various projects (Name of the fund or projects should be shown along with the particulars of payments made for each project) III. निवेश एवं जमा राशि Investment and deposit made (क) चिन्हित/अक्षय निधियों से Out of Earmarked /Endowments Funds (ख) स्वयं की निधियों से (अन्य निवेश) Out of own funds, (Investment- other) IV. स्थाई परिसम्पतियों एवं पूँजी कार्यों पर व्यय Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in Progress (क) स्थाई परिसम्पति की खरीद Purchase of fixed Asset		



भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

31.03.2013 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान
RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD/YEAR ENDED ON 31.03.2013

(₹)

प्राप्तियाँ RECEIPTS	इस वर्ष CURRENT YEAR	गत वर्ष PREVIOUS YEAR	भुगतान PAYEMENTS	इस वर्ष CURRENT YEAR	गत वर्ष PREVIOUS YEAR
(ख) ऋण, अग्रिम आदि Loans, Advances etc. V. अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें) Others (Specify) VI. उधार ली गई राशियाँ Amount Borrowed VII. अन्य कोई प्राप्तियाँ (विवरण दें) Any other receipts (give details)			(ख) पूंजी कार्य प्रगति पर व्यय Expenditure on capital Work in-Progress V. रिफंड एवं अधिशेषधन/ऋण Refunds of surplus money/Loans (क) भारत सरकार को To the Government of India (ख) राज्य सरकार को To the State Government अन्य निधिदाताओं को To other providers of Funds VI. वित्त प्रभार (ब्याज) Finance Charges (Interest) VII. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें) Other payments (specify) VIII. अंत शेष Closing Balance (क) हस्तगत नकदी Cash in hand (ख) बैंक शेष Bank Balances (i) चालू खाते In current accounts (ii) जमा खाते In deposit accounts (iii) बचत खाते Saving accounts		
कुल	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य
Total	NIL	NIL		NIL	NIL


लेखा-बहियों से संकलित
Compiled from the books of account
कृते संदीप रामनिवास गुप्ता एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट
For **SANDEEP RAMNIWAS GUPTA & CO.**
Chartered Accountants,


संदीप गुप्ता, एफ. सी. ए.
(पार्टनर) एम. नं. 075269
SANDEEP GUPTA, F.C.A.
(Partner) M NO.075269
एफ. आर. एन.
FRN. 006406C

दिनांक
Dated: 09.09.2015
स्थान नई दिल्ली
Place: New Delhi



(अनिल कुमार बाम्बा)
सदस्य (पी एण्ड डी)
(Anil Kumar Bamba)
Member- (P&D)



(वाई. एस. शहरावत)
अध्यक्ष
(Y.S. Shahrawat)
Chairman



दिनांक 24.01.2013 को सचिव (सीमा प्रबन्धन) , सचिव (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण), सचिव (वाणिज्य), भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण एवं सीमा प्रबन्धन विभाग के अन्य वरिष्ठ आधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति में कार्गो टर्मिनल, एकीकृत चैक पोस्ट, अटारी के संचालन हेतु अध्यक्ष, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण एवं प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय भण्डारण निगम, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए ।

Signing of Memorandum of Agreement with CWC on 24.01.2013 in the presence of Secretary (Border Management) , Secretary (Commerce), Secretary (Food & Public Distribution) and other senior officers of Department of Border Management and LPAI.



सचिव (सीमा प्रबन्धन), एकीकृत चैक पोस्ट, अटारी के उद्घाटन के अवसर पर गणमान्य अधिकारियों को विभिन्न पहलुओं से अवगत कराते हुए ।

Secretary (Border Management) explaining to the dignitaries on the occasion of inauguration of ICP Attari .



यात्री टर्मिनल, अटारी में स्थित आप्रवासन पटल ।
Immigration Counter in Passenger Terminal at ICP Attari



भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण
LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA